



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092024-257523
CG-DL-E-26092024-257523

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 553]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 26, 2024/आश्विन 4, 1946

No. 553]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 26, 2024/ASVINA 4, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 595(अ).—केंद्रीय सरकार, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 85(अ) तारीख 21 फरवरी, 1991 द्वारा किए गए संकल्प को विखंडित करती है।

[फा. सं. 12/56/2022-एचएसएम-भाग (5)]

नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th September, 2024

G.S.R. 595(E).—The Central Government hereby rescinds its Resolution made vide notification number GSR 85(E), dated the 21st February, 1991, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 12/56/2022-HSM-Part(5)]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.